<u>न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र), झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश - **सुनीता मीणा,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन प्रकरण संख्या - 191/2021

(सी.आई.एस.नं.-191/2021)

राजस्थान राज्य

(अभियोगी)

बनाम

सत्यनारायण उर्फ सत्तु पुत्र मुरली मनोहर, उम्र 45 वर्ष, निवासी निचला बाजार मनोहरथाना, पुलिस थाना मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज.)

– अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 354, 354क भा.दं.सं. एवं

धारा 3-1(w), 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री महेश पाटीदार, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज.राज्य की ओर से।

2- श्री रमेशचन्द मेघवाल व श्री हेमचन्द कश्यप, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

<u>निर्णय</u> **दिनांकः- 13.03.2026**

नोटः- प्रकरण महिला अत्याचार से संबंधित होने के कारण परिवादिया के नाम की गोपनीयता बनाये रखने हेतु परिवादिया के नाम के स्थान पर पीड़िता शब्द का प्रयोग किया जा रहा है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 18.09.2019 को परिवादिया/पीड़िता उम्र 35 वर्ष, निवासी बिशनखेड़ा हाल मोग्या बस्ती मनोहरथाना ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय के तथ्यों की पेश की कि वह करीब 5 साल से मोग्या बस्ती मनोहरथाना में रह रही है। गत रविवार दिनांक 15.09.2019 को दोपहर करीब 12 बजे बीनागंज रोड़ पर ब्लाउज सिलवाने गई थी। वहां से करीब दो-ढाई बजे वह साड़ियां खरीदने के लिये दरवाजे के भीतर मनोहरथाना गई। उस समय बारिश हो रही थी, तो वह सत्यनारायण पुत्र मुरली मनोहर की दुकान पर साड़ियां देखने लगी। उस समय दुकान पर सत्यनारायण पुत्र मुरली मनोहर, जाति छीपा, निवासी मनोहरथाना अकेला ही था। वहां और कोई नहीं था। सत्यनारायण ने उसे एक साड़ी दिखाई और अपने एक

हाथ से उसकी छाती को पकड़ कर दबा दिया। वह उससे बोली यह क्या कर रहे हो, तो वो बोला ये 500/-रूपये पकड़ और उसके साथ भीतर चल, तब वह सत्यनारायण से बोली यह बात घर पर बताउंगी। तब वह बोला जा बोल देना, 500/-रूपये पकड़ और उसके साथ भीतर चल, इसके बाद वह घर आ गई। इसके बाद ये सारी बात उसने फोन पर अपने मिलने वालों को बताई। यह लोग उसके उपर समझौता करने का दबाव बना रहे थे। इसलिये रिपोर्ट करवाने नहीं आ सकी। आज रिपोर्ट कराने आई है, कार्यवाही की जावे, इत्यादि।

2- उक्त आशय के तथ्यों की लिखित तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मनोहरथाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.-393/2019, धारा 354 भा.दं.सं. व धारा 3 एस.सी./एस.टी.एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 21.12.2021 को अभियुक्त के विरूद्व धारा 354, 354क भा.दं.सं. एव धारा 3-1(w), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अपराध में आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3- बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 09.02.2022 को अभियुक्त सत्यनारायण उर्फ सत्तु को धारा 354, 354क भा.दं.सं. एवं धारा 3-1(w), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन समझकर अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4- दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष ने समर्थन में गवाह पी.ड.-1 पीड़िता/परिवादिया, पी.ड.-2 मानसिंह, पी.ड.-3 दुर्गाराम, पी.ड.-4 हुकुमचन्द, पी.ड.-5 दिनेश साहू व पी.ड.-6 पूजा के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1, चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-2, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-3, पीड़िता/परिवादिया का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-4, परिवादिया/पीड़िता के बयान धारा 164 दं.प्र.सं. प्रदर्श पी.-5, पीड़िता के बयान धारा 164 दं.प्र.सं. लेखबद्व करवाने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी.-6, अभियुक्त सत्यनाायण को धारा 41ए का दिया गया नोटिस प्रदर्श पी.-7, चैक लिस्ट प्रदर्श पी.-8, पुलिस बयान हुकुमचन्द प्रदर्श पी.-6, पुलिस बयान दिनेश साहू प्रदर्श पी.-7 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया।

5- अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किये गये, जिसमें उसने अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य को गलत होना बताते हुए, स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फंसाए जाने का कथन किया तथा प्रतिरक्षा में साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, परन्तु साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना व्यक्त किए जाने पर प्रतिरक्षा साक्ष्य बन्द की गई।

6- बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गयी।

7- दौराने बहस विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। अभियोजन पक्ष के समस्त साक्षीगण ने अभियोजन कहानी की पूर्ण रूप से ताईद की है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्व घोषित किये जाने का निवेदन किया।

8- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया/पीड़िता के साथ किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गयी है, रंजिशवश झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवायी गयी पीड़िता/परिवादिया पी.ड.-1 ने घटना रविवार दिनांक 15.09.2019 को दोपहर करीब 12 बजे की बतायी है, जबकि घटना की रिपोर्ट दिनांक 18.09.2019 को दर्ज करवायी गयी है, इस प्रकार रिपोर्ट घटना से तीन दिन बाद दर्ज करवायी गयी है, जिसका कोई कारण परिवादिया/पीड़िता की ओर से पेश नहीं किया गया है। साथ ही परिवादिया/पीड़िता के रिपोर्ट व पुलिस बयान एवं धारा 164 दं.प्र.सं. के बयानों में गम्भीर विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। परिवादिया ने प्रतिपरीक्षा में घटना शनिवार की बताई है, जबकि तहरीरी रिपोर्ट में रविवार की बताई है तथा परिवादिया ने रिपोर्ट दूसरे दिन करवाना बताया है। प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षीगण पी.ड.-4 हुकुमचन्द, पी.ड.-5 दिनेश साहू पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। प्रकरण के अन्य गवाहान औपचारिक साक्षीगण है, जिन्होंने औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में निर्णय एवं विचारण योग्य बिन्दु निम्नलिखित है-

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 15.06.2019 को दोपहर करीब दो-ढाई बजे या इसके लगभग ग्राम मौजा मनोहरथाना स्थित दरवाजे के भीतर अभियुक्त सत्यनारायण की दुकान में पीड़िता/परिवादिया की स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से उसकी छाती को पकड़ कर दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा परिवादिया/पीड़िता की छाती पकड़कर दबाकर अवांछनीय शारीरिक सम्पर्क किया तथा परिवादिया/पीड़िता के जाति से भील होकर अनुसूचित जाति की सदस्या होना जानते हुए, उसकी स्त्री लज्जा भंग की तथा उसके साथ उक्त अपराध कारित किये ?''

10- उक्त अवधारणीय बिन्दु की पुष्टि हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 06 गवाहान परीक्षित करवाये गये, जिनमें से गवाह पी.ड.-1 परिवादिया/पीड़िता स्वयं है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 2 साल पहले की बात है। वह मनोहरथाना मोग्या बस्ती में रहती है। वह साडियां खरीदने मनोहरथाना गयी थी। दिन में दो-ढाई बजे करीब की बात है। बरसात शुरू हो गयी थी। वह सत्यनारायण की दुकान पर साडी देखने गयी थी। फिर उसने साडियां बताते बताते उसकी छाती दबा दी। फिर उससे कहा कि 500/-रूपये ले ले और उपर चल। पानी रूकते ही वह उसके घर पर आ गयी। फिर उसने सारी घटना उसके मकान मालिक मानसिंह को बतायी। फिर इसकी रिपोर्ट करने वे थाना मनोहरथाना में गये। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-2 है, जिस पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया, जो प्रदर्श पी.-3 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका जाति प्रमाण पत्र लिया, जो प्रदर्श पी.-4 है। उसके न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुए थे। बयान धारा 164 दं.प्र.सं. प्रदर्श पी.-5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि वह मुलजिम की दुकान पर पहली बार ही गयी थी, इससे पहले कभी नहीं गयी। आगे स्वीकार किया है कि मुलजिम की दुकान के आस-पास कपड़े की ओर दुकान नहीं है। स्वीकार किया है कि घटना उसने रविवार के दिन की बतायी है। आगे स्वीकार किया है कि रविवार के दिन रिपोर्ट लिखायी थी, लेकिन घटना एक दिन पहले शनिवार के दिन की थी। आगे स्वीकार किया है कि घर पर जाते ही उसने फोन करके उसके मकान मालिक मानसिंह को घटना के बारे में बताया था। आगे स्वीकार किया है कि उसने उसके मम्मी, पापा, भाई किसी को घटना

के बारे में नहीं बताया। आगे स्वीकार किया है कि उसने उसके आस पडौस वालों को घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। आगे कथन किया है कि वह वहां आस-पास की दुकान वालों को किसी को नहीं जानती। इस सुझाव को गलत होना बताया है कि दुकान के सामने वाली दुकान वालों को मुलजिम की दुकान के अन्दर का सब कुछ दिखता हो, बल्कि दूसरी दुकानें अलग साईड़ में है।

11- गवाह पी.ड.-2 मानसिंह परिवादिया/पीड़िता का मकान मालिक है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब एक-डेढ साल पहले की बात है। कलीबाई ने उसका मकान किराये से ले रखा है। वह तो रोज उसके गांव आंखखेडी में चला जाता है। उसका मकान मनोहरथाना में मोग्या मोहल्ला में है। कलीबाई साडियां लेने सत्तु की दुकान पर गयी, तो सत्तु ने उसकी छाती दबा दी। फिर शाम को कलीबाई ने उसे फोन पर घटना की जानकारी दी। तो उसने उससे कहा कि सुबह वह आकर रिपोर्ट दर्ज करवा देगा। फिर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका उसके सामने प्रदर्श पी.-3 बनाया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी.-3 बनाने गये, उस समय मौके पर सत्तु का पिता व सत्तु का छोटा भाई मिला था। आगे स्वीकार किया है कि पुलिस जब नक्शा मौका बनाने गयी, तब वहां पर बहुत सारी भीड इकट्ठा हो गयी थी। आगे स्वीकार किया है कि उसे कलीबाई ने बताया था कि बारिश हो रही थी तब वह दुकान पर गयी थी।

12- गवाह पी.ड.-3 दुर्गाराम अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 19.09.2019 को वृत्ताधिकारी मनोहरथाना के पद पर कार्यरत रहते हुए, पुलिस थाना मनोहरथाना के प्रकरण सं.-393/2019, अन्तर्गत धारा 354 भा.दं.सं. व धारा 3-1(XI) एस.सी./एस.टी.एक्ट की पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान श्रीमती कल्लीबाई के बयान महिला कानि. 426 पूजा शर्मा द्वारा लेखबद्ध करवाये जाकर शामिल पत्रावली किये थे। गवाहान मानसिंह, दिनेश साहू, हुकुमचन्द के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। परिवादिया के बयान धारा 164 दं.प्र.सं. में करवाये गये जो कि प्रदर्श पी.-5 है। पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 164 दं.प्र.सं. लेखबद्ध करवाने हेतु न्यायालय में उसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जो कि प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी.-3 परिवादी की निशानदेही से बनाया, जिस पर ए से बी परिवादिया व

सी से डी, इ से एफ गवाहान व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। परिवादिया कल्लीबाई का जाति प्रमाण पत्र लेकर शामिल पत्रावली किया, जो कि प्रदर्श पी.-4 है। आरोपी सत्यनारायण को धारा 41ए का नोटिस दिया गया, जो कि प्रदर्श पी.-7 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी आरोपी सत्यनारायण के हस्ताक्षर है। चेक लिस्ट प्रदर्श पी.-8 है, जिस पर क्रमशः ए से बी उसके, सी से डी आरोपी सत्यनारायण के हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान मुलजिम के खिलाफ अपराध अन्तर्गत धारा 354, 354क भा.दं.सं. व धारा 3-1(w), 3-2(Va) एस.सी./एस.टी.एक्ट प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट माननीय न्यायालय में थानाधिकारी थाना मनोहरथाना श्री अजीत मेघवंशी ने पेश की। अपराध के संबंध में पेश की गयी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 पर ए.एस.आई. घनश्याम द्वारा कार्यवाही पुलिस सी से डी अंकित की गयी, जिस पर इ से एफ ए.एस.आई. घनश्याम के हस्ताक्षर तथा ए से बी परिवादिया के हस्ताक्षर है। एस.पी. साहब का परिवाद प्रदर्श पी.-2 है, जिस पर इ से एफ थानाधिकारी अजीत मेघवंशी के हस्ताक्षर व जी से एच उनके द्वारा किया गया पुलिस कार्यवाही का पृष्ठांकन अंकित है। घटना की चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-2 है, जिस पर ए से बी परिवादिया व सी से डी ए.एस.आई. घनश्याम के हस्ताक्षर है। अजीत मेघवंशी व घनश्याम उसके अधीनस्थ होने के कारण वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 दिनांक 18.09.2019 को रात्री सवा नौ बजे पेश की गई थी तथा तहरीरी रिपोर्ट व पुलिस बयान में दिनांक 15.09.2019 रविवार को घटना होना बतायी थी। आगे स्वीकार किया है कि परिवादिया के घटना के तीन बाद रिपोर्ट दर्ज करवायी गई तथा रिपोर्ट देरी होने का परिवादिया से कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया था। आगे स्वीकार किया है कि घटनास्थल आबादी क्षेत्र है तथा रविवार को मनोहरथाना में हाट लगता है।

13- गवाह पी.ड.-4 हुकुमचन्द व गवाह पी.ड.-5 दिनेश कुमार मौके के साथीगण है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उनके बयान नहीं लिये थे। उक्त दोनों गवाहान **पक्षद्रोही** घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

14- गवाह पी.ड.-6 पूजा नक्शा मौका की साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 19.09.2019 को थाना मनोहरथाना में कानि. के पद पर तैनात रहते हुए, अनुसंधान अधिकारी दुर्गाराम, आर.पी.एस., सी.ओ. मनोहरथाना के द्वारा

घटनास्थल होली चौक दुकान मुरली मनोहर छीपा की दुकान के आस-पास का नक्शा मौका उसके समक्ष प्रदर्श पी.-3 बनाया, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि जहां नक्शा मौका बनाया था, वह आबादी क्षेत्र है तथा मौका स्थल के आस-पास के लोगों को गवाह नहीं बनाया गया था।

15- अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में परिवादिया/पीड़िता पी.ड.-1 के बयानों का अवलोकन किया जाये, तो पीड़िता ने अपने बयानों में अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 की ताईद करते हुए, कहती है कि घटना के दिन दो-ढाई बजे करीब यह सत्यनारायण की दुकान पर साड़ियां देखने गयी थी, तभी उसने साड़ियां बताते-बताते इसकी छाती दबा दी और कहा कि 500/-रूपये ले ले और उपर चल। पानी रूकते यह घर आयी और सारी घटना अपने मकान मालिक मानसिंह को बतायी, जिसकी रिपोर्ट उसने करवायी तथा स्वयं द्वारा दौराने अनुसंधान न्यायालय में दिये गये धारा 164 दं.प्र.सं. के बयानों की ताईद करती है। प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई विरोधाभासी कथन नहीं करती है तथा अपने बयानों में हू-ब-हू अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 व धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत् लेखबद्ध किये गये बयान प्रदर्श पी.-5 की पुष्टि करती है। गवाह पी.ड.-4 हुकुमचन्द व पी.ड.-5 दिनेश साहू पक्षद्रोही घोषित हुए है तथा परिवादिया ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि इसने घटना के बारे में अपने मकान मालिक मानसिंह को बताया था। उक्त मानसिंह गवाह पी.ड.-2 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसके अनुसार पीड़िता ने इसका मकान किराये से ले रखा है, जो रोज अपने गांव आंखखेड़ी चला जाता है। पीड़िता साड़ियां लेने अभियुक्त सत्तु की दुकान पर गयी थी तो अभियुक्त ने उसकी छाती दबा दी। फिर शाम को पीड़िता ने इसे फोन पर घटना के बारे में जानकारी दी तो इसने उससे कहा कि सुबह आकर रिपोर्ट दर्ज करवा देगा। फिर इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी तथा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-3 पर भी स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताईद करता है। इस प्रकार घटना के तुरन्त पश्चात्वर्ती पीड़िता के आचरण के बारे में उक्त गवाह सम्पुष्टिकारक साक्ष्य देता है। गवाह पी.ड.-3 दुर्गाराम प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जो स्वयं के द्वारा किये गये अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाया जाना कहता है तथा प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसा कोई कथन नहीं करता है, जिससे इसके द्वारा किये गये अनुसंधान में कोई सन्देह उत्पन्न हो। यद्यपि यह स्वीकार करता है कि नक्शे मौके में वर्णित आसपास के दुकानदानव पड़ौसियों में से किसी को भी गवाह नहीं बनाया। उक्त स्वीकारोक्तियों के संबंध में उल्लेखनीय है कि

परिवादिया ने अपने तहरीरी रिपोर्ट में भी यह अंकित किया है कि घटना के समय दुकान पर अभियुक्त सत्यनारायण अकलेरा ही था और वहां कोई कोई नहीं था तथा गवाह पी.ड.-1 के रूप में अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान भी उक्त गवाह ने यह स्पष्ट किया है कि दुकान के सामने वाली दुकान वालों को मुलजिम की दुकान के अन्दर का नहीं दिखाई देता है, क्योंकि दूसरी दुकानें अलग साईड में है। अतः ऐसी स्थिति में अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहान की मौजूदगी न होना तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं बनाया जाना हस्तगत प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए स्वाभाविक है।

16- जहां तक रिपोर्ट दर्ज कराने में तीन दिन का विलम्ब होने संबंधी तर्क है। तहरीरी रिपोर्ट में ही परिवादिया ने स्पष्ट किया है कि ये लोग मेरे पर समझौता करने का दबाव बना रहे थे। इसलिये रिपोर्ट करवाने नहीं आ सकी। जहां तक इस विरोधाभास का संबंध है कि तहरीरी रिपोर्ट में घटना रविवार की बतायी है, जबकि प्रतिपरीक्षा में घटना शनिवार को होना परिवादिया ने बताया हैतो इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राकेश बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. क्रिमि. अपील सं.-556 (2021) निर्णय दिनांक** 06.07.2021 में अभिनिर्धारित किया है कि -

> ''Minor contradictions which do not go to the root of the matter and/or such contradictions are not material contradictions, the evidence of such witness can not be brushed aside and disbelieved."

17- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का दौराने बहस यह तर्क रहा है कि परिवादिया /पीड़िता की एक मात्र साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसकी सम्पुष्टि हेतु अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई है और परिवादिया/पीड़िता ने अभियुक्त को झूंठा फंसाया है।

18- उक्त तर्क के संबंध में पुनः अभियोजन साक्ष्य एवं पत्रावली का अवलोकन किया जाये, तो यह स्पष्ट है कि कथित घटना के समय पीड़िता एवं अभियुक्त के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं था और ऐसा अपराध सामान्यतया एकान्त में घटित होता है, जहां स्वतन्त्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की उपलब्धता अपेक्षित नहीं की जा सकती। अतः मात्र इस आधार पर कि कोई स्वतन्त्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया, अभियोजन कहानी को सन्देहास्पद नहीं माना जा सकता। विशेष कर जबकि पीड़िता दौराने प्रतिपरीक्षा पूर्णतया अखड़ित रही है और ऐसा

कोई विरोधाभास अथवा अस्वाभाविकता उसकी साक्ष्य से परिलक्षित नहीं होती, जिससे कि उसकी विश्वसनीयता पर सन्देह उत्पन्न हो तथा दौराने प्रतिपरीक्षा भी ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि पीड़िता एवं अभियुक्त के मध्य पूर्व से कोई रंजिश या वैमनस्यता थी, जिस कारण पीड़िता द्वारा अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया हो।

19- इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **भरवाड़ा भोगीन भाई, हीरजी भाई बनाम गुजरात राज्य, 1983 (3) एस.सी.सी. 217** में यह प्रतिपादित किया है कि- "भारतीय सामाजिक परिस्थिति में कोई महिला अपने प्रतिष्ठा या मर्यादा को दाव पर लगाकर झूंठा आरोप नहीं लगाती और यदि उसकी गवाही विश्वसनीय साबित हो तो एक मात्र उसकी साक्ष्य पर दोषसिद्धि की जा सकती है।" इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह व अन्य, 1996 (2) एस.सी.सी. 384** में यह स्पष्ट किया है कि- "यौन अपराधों में पीड़िता की गवाही को सन्देह की दृष्टि से तब तक नहीं देखा जाना चाहिये, जब तक कि उसकी गवाही के दौरान ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आये, जिससे कि उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध प्रतीत हो और तब तक पीड़िता की गवाही को किसी अन्य सम्पुष्टि की आवश्यकता नहीं है और पीड़िता की विश्वसनीय साक्ष्य अपने आप में दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त हो सकती है तथा स्वतन्त्र गवाहों का अभाव अभियोजन के लिये प्रत्येक परिस्थितियों में घातक नहीं माना जा सकता।" अतः जबकि पीड़िता अपनी साक्ष्य के दौरान पूर्णतया खरी उतरी है तथा पीड़िता के घटना के पश्चातवर्ती आचरण के बारे में भी सम्पुष्टिकारी साक्ष्य गवाह पी.ड.-2 मानसिंह की है तथा घटना के समय किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति भी साबित नहीं है और ना ही झूंठा फंसाने के लिये कोई रंजिश अथवा कारण दृष्टिगत हुआ है। अतः इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन अपनी साक्ष्य से वक्त घटना अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान के भीतर परिवादिया/पीड़िता की स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से उसकी छाती पकड़कर दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना तथा परिवादिया/पीड़िता की छाती पकड़ककर दबाकर अवांछनीय शारीरिक सम्पर्क किया जाना, जिसमें 500/-रूपये लेकर अवांछनीय/लैंगिक संबंध बनाने का प्रस्ताव अन्तर्वलित था, युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त सत्यनारायण उर्फ सत्तु आरोपित अपराध धारा 354 व 354क भा.दं.सं. के तहत् दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

20- जहां तक अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 3-1(w), 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट के आरोप का संबंध है। स्वयं परिवादिया/पीड़िता की साक्ष्य से यह दर्शित है कि परिवादिया एक ग्राहक के रूप में अभियुक्त सत्यनारायण की दुकान पर साड़ियां देखने गयी थी तथा प्रतिपरीक्षा के दौरान परिवादिया ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के दिन वह अभियुक्त की दुकान पर पहली ही बार गयी थी, इससे पहले कभी नहीं गयी। अतः यह उपधारणा किये जाने का कोई आधार नहीं है कि अभियुक्त पीड़िता के अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के तथ्य से परिचित था और ना ही पत्रावली पर अन्य ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद है, जिससे यह दर्शित हो कि अभियुक्त ने परिवादिया के अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जानते हुए पीड़िता के साथ उक्त घटना कारित की। अतः अभियुक्त सत्यनारायण उर्फ सत्तु आरोपित अपराध धारा 3-1(w), 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अभियुक्त सत्यनारायण उर्फ सत्तु पुत्र मुरली मनोहर, उम्र 45 वर्ष, निवासी निचला बाजार मनोहरथाना, पुलिस थाना मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 354, 354क भा.दं.सं. के आरोपों के लिए दोषसिद्व घोषित किया जाता है तथा अपराध अन्तर्गत धारा 3-1(w), 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

<u>सजा के बिन्दु पर सुना गया।</u>

(1) विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त करीब 4 वर्ष से प्रकरण में विचारण की यंत्रणा भुगत चुका है, उसको अपने किये पर पश्चाताप है। वह आईन्दा इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला एक मात्र व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे।

(2) इसके विपरीत विशिष्ट लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुये अभियुक्त को साबित अपराधों के लिए कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

(3) उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया। पत्रावली का पुनः अवलोकन किया। यद्यपि पत्रावली पर अभियुक्त की कोई पूर्व दोषसिद्धी बाबत् साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त करीब 4 वर्ष से प्रकरण में विचारण की यन्त्रणा भुगत चुका है। अभियुक्त ने अपने किये पर पश्चाताप व्यक्त किया है। परंतु अभियुक्त पर परिवादिया/पीड़िता की स्त्री लज्जा भंग का आरोप है। अतः अभियुक्त की स्थिति, अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य, तथ्य व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसके प्रति नरमी का रुख अपनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, अपितु अभियुक्त के विरूद्ध दण्डादेश निम्न प्रकार से पारित किया जाना उचित एवं आवश्यक पाया जाता हैः-

दण्डादेश

अतः अभियुक्त सत्यनारायण उर्फ सतु पुत्र मुरली मनोहर, उम्र 45 वर्ष, निवासी निचला बाजार मनोहरथाना, पुलिस थाना मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 354, 354क भा.दं.सं. के आरोपों के लिए दोषी पाये जाने पर निम्नानुसार दण्डित किया जाता है -

1- अभियुक्त को धारा **354 भा.दं.सं.** के अपराध में **03 वर्ष** के कठोर कारावास व **20,000/-रूपये** अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड **06 माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

2- अभियुक्त को धारा **354क भा.दं.सं.** के अपराध में **03 वर्ष** के कठोर कारावास व **20,000/-रूपये** अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड **06 माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

3- अभियुक्त की उक्त दोनों मूल सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि, धारा 428 द.प्र.सं. के अनुसार उसकी मूल सजा में समायोजित की जावेगी। अभियुक्त का सजा वारण्ट उक्तानुसार मुर्तिब किया जावे। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को नियमानुसार निःशुल्क दी जावे।

4- प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए परिवादिया/पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के अधीन प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु अनुशंषा किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक **13.03.2026** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण-पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

KAMLESH TAILOR
Steno Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by KAMLESH TAILOR
Date: 2026.03.19 16:19:26 +0530

नोट:- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।